रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238898
CG-DL-E-16092022-238898

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2022/भाद्र 25, 1944
No. 455] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022/BHADRA 25, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022

सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.093.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) में, विनियम 4ख के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**4ग. प्रक्रिया ई-मेल**

(1) अंतरिम समाधान व्यावसायिक एक ईमेल खाता खोलेगा और हितधारकों के साथ समस्त पत्र-व्यवहार में इसका प्रयोग करेगा तथा किसी समाधान व्यावसायिक द्वारा उसके प्रतिस्थापन की दशा में, ईमेल के प्रत्यय-पत्र उसे सौंपेगा ।

(2) समाधान व्यावसायिक, किसी अन्य समाधान व्यावसायिक या किसी समापक द्वारा उसके प्रतिस्थापन की दशा में, ईमेल के प्रत्यय-पत्र, यथास्थिति उस अन्य समाधान व्यावसायिक या समापन को सौंपेगा ।"

3. मूल विनियमों में, विनियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**6क. लेनदारों को संसूचना**

अंतरिम समाधान व्यावसायिक, कारपोरेट ऋणी की हाल ही की उपलब्ध लेखा-बहियों के अनुसार सभी लेनदारों को डाक या इलैक्ट्रानिक माध्यमों से, जहां कहीं भी संसूचना के लिए जानकारी उपलब्ध है, विनियम 6 के अधीन की गई सार्वजनिक घोषणा की प्रति सहित एक संसूचना भेजेगा:

परन्तु जहां लेनदारों को संसूचना भेजना संभव न हो वहां विनियम 6 के अधीन की गई सार्वजनिक घोषणा ऐसे लेनदारों को संसूचित की गई समझी जाएगी ।"

4. मूल विनियमों के विनियम 18 में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण**: उप-विनियम (2) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप-विनियम के अधीन बैठक (बैठकें) तब तक आयोजित की सकेगी जब तक धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन समाधान योजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता या धारा 33 के अधीन समापन के लिए आदेश पारित नहीं कर दिया जाता और उन विषयों के संबंध में विनिश्चय किया जा सकेगा जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई समाधान योजना पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते ।"

5. मूल विनियमों के विनियम 35क में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) जहां समाधान व्यावसायिक उप-विनियम (2) के अधीन कोई अवधारण करता है वहां वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के एक सौ तीसवें दिन को या उससे पूर्व समुचित अनुतोष के लिए आवेदन करेगा ।"

6. मूल विनियमों के विनियम 35क में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3क) समाधान व्यावसायिक, आवेदन की प्रति भावी समाधान आवेदक को अग्रेषित करेगा जिससे कि वह समाधान योजना को आरंभ में नियत समय के भीतर प्रस्तुत करते समय उस पर विचार करने में समर्थ हो सके ।"

7. मूल विनियमों के विनियम 36 में,

(i) उप-विनियम (1) में, "अपनी नियुक्ति के दो सप्ताह के भीतर किन्तु दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से चौवनवें दिन के अपश्चात्" शब्दों के स्थान पर "दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से पचानवें दिन को या उससे पूर्व" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उप-विनियम (2) में,

(क) आरंभिक शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) सूचना ज्ञापन में प्रमुख विक्रय प्रस्थापनाओं को चिह्नित किया जाएगा और उसमें ऐसी समस्त सुसंगत जानकारी होगी जो भावी समाधान आवेदक को कारपोरेट ऋणी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट करने वाले व्यापक दस्तावेज़ के रूप में काम आएगी जिसके अंतर्गत उसके प्रचालन, वित्तीय विवरणियां भी है और उसमें कारपोरेट ऋणी के निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होंगे –"

(ख) खंड (क) में, "आस्तियां और दायित्व" शब्दों के पश्चात् "जिसके अंतर्गत आकस्मिक दायित्व भी हैं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ग) खंड (क) के स्पष्टीकरण में "और कोई अन्य ब्यौरे" शब्दों से पूर्व "स्थिर आस्तियों के भौगोलिक निर्देशक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(घ) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(ञ) कंपनी का संक्षिप्त विवरण, जिसके अंतर्गत कारबार कार्यपालन, प्रमुख संविदाओं, प्रमुख निवेश संबंधी विशिष्टताएं और ऐसे अन्य कारकों के आशुचित्र भी हैं, जिससे कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के अतिरिक्त, जैसे आय-कर विवरणियों में अग्रनीत हानियां, जी.एस.टी. का इनपुट क्रेडिट, प्रमुख कर्मचारी, प्रमुख ग्राहक, आपूर्ति श्रृंखला संबंध, उपयोगिता संपर्क और अन्य पूर्व-विद्यमान सुविधाएं, चालू समुत्थान के रूप में मूल्य का पता चलता है।

(ट) ऐसे कारपोरेट ऋणी की दशा में, जिसकी कुल आस्तियों का बही-मूल्य हाल ही की उपलब्ध वित्तीय विवरणियों के अनुसार एक सौ करोड़ रुपए के अधिक है, कारबार का क्रमिक विकास, उद्योग का संक्षिप्त विवरण और विकास के प्रमुख संचालक।"

8. मूल विनियमों के विनियम 36क के उप-विनियम (1) में, "पचहत्तरवें दिन के अपश्चात्" शब्दों के स्थान पर "साठवें दिन के अपश्चात्" शब्द रखे जाएंगे।

9. मूल विनियमों के विनियम 36ख में, उप-विनियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6क) यदि समाधान व्यावसायिक, इस विनियम के अधीन अनुरोध के प्रत्युत्तर में कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं करता है तो वह समिति के अनुमोदन से, कारपोरेट ऋणी की एक या उससे अधिक आस्तियों के विक्रय के लिए समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी कर सकेगा।"

10. मूल विनियमों में, विनियम 36ख के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"36ग. कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के विपणन के लिए रणनीति

(1) जहां हाल ही की उपलब्ध वित्तीय विवरणियों के अनुसार कुल आस्तियां एक सौ करोड़ रूपए से अधिक है वहां समाधान व्यावसायिक, समिति के परामर्श से, कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के विपणन के लिए रणनीति तैयार करेगा और अन्य मामलों में ऐसी रणनीति तैयार कर सकेगा।

(2) ऐसी रणनीति की लागत सहित उसके कार्यान्वित करने का विनिश्चय समिति के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

(3) समिति का/के सदस्य भी कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के विपणन के लिए उपाय कर सकेगा/सकेंगे। "

11. मूल विनियमों के विनियम 37 में, खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ड) कारपोरेट ऋणी की एक या उससे अधिक आस्तियों का, ऐसी आस्तियों के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने वाले एक या उससे अधिक सफल समाधान आवेदकों को विक्रय करना; और शेष आस्तियों के संबंध में व्यवहार करने की रीति।"

12. मूल विनियमों में, विनियम 39ख के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"38खक. समझौते या ठहराव का निर्धारण

(1) समिति, धारा 33 के अधीन कारपोरेट ऋणी का समापन करने का विनिश्चय करते समय इस बात की परीक्षा करेगी कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 2ख के उप-विनियम (1) के अधीन यथा-निर्दिष्ट समझौते या ठहराव का पता लगाया जाए अथवा नहीं और समाधान व्यावसायिक, धारा 33 के अधीन आवेदन फाइल करते समय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समिति की सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां उप-विनियम (1) के अधीन कोई सिफारिश की गई है वहां समाधान व्यावसायिक और समिति उस अवधि के दौरान, जब कारपोरेट ऋणी का समापन करने संबंधी आवेदन, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, समझौते या ठहराव की संभावना का पता लगाती रहेगी।"

13. मूल विनियमों के विनियम 40क में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“

धारा/विनियम	क्रियाकलाप का वर्णन	मानक	अद्यतन समय-सीमा
धारा 16(1)	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ और अंतरिम समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति	…	टी
विनियम 16(1)	दावे आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक घोषणा	अंतरिम समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति के 3 दिन के भीतर	टी+3
धारा 15(1)(ग)/ विनियम 6(2)(ग) और 12(1)	दावों का प्रस्तुत किया जाना	अंतरिम समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति से 14 दिन के लिए	टी+14
विनियम 12(2)	दावों का प्रस्तुत किया जाना	प्रारंभ से 90वें दिन तक	टी+90
विनियम 13(1)	विनियम 12(1) के अधीन प्राप्त दावों का सत्यापन	दावे की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर	टी+21
	विनियम 12(2) के अधीन प्राप्त दावों का सत्यापन		टी+97
धारा 21(6क)(ख)/ विनियम 16क	प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए आवेदन	विनियम 12(1) के अधीन प्राप्त दावों के सत्यापन से 2 दिन के भीतर	टी+23
विनियम 17(1)	लेनदारों की समिति का गठन प्रमाणित करने वाली रिपोर्ट		टी+23
धारा 22(1)/ विनियम 19(2)	लेनदारों की समिति की पहली बैठक	लेनदारों की समिति का गठन प्रमाणित करने वाली रिपोर्ट फाइल करने के 7 दिन के भीतर किन्तु पांच दिन की सूचना सहित	टी+30
धारा 22(2)	लेनदारों की समिति द्वारा समाधान व्यावसायिक नियुक्त करने का प्रस्ताव	लेनदारों की समिति की पहली बैठक में	टी+30
धारा 16(5)	समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन पर	……
विनियम 17(3)	अंतरिम समाधान व्यावसायिक तब तक समाधान व्यावसायिक के कृत्यों का पालन करता है जब तक समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति नहीं हो जाती।	यदि समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होने के 40वें दिन तक नहीं की जाती है।	टी+40
विनियम 27	मूल्यांकक की नियुक्ति	समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति के 7 दिन के भीतर किन्तु प्रक्रिया कं प्रारंभ होने के 47वें दिन के अपश्चात्	टी+47
धारा 12(क)/ विनियम 30क	स्वीकृत आवेदन की वापसी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना	रूचि की अभिव्यक्ति जारी करने से पूर्व	डब्ल्यू
	लेनदारों की समिति द्वारा आवेदन का निपटारा	उसकी प्राप्ति के 7 दिन या लेनदारों की समिति के गठन के 7 दिन के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो।	डब्ल्यू+7
	समाधान व्यावसायिक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को वापसी के लिए आवेदन फाइल करना, यदि उसे लेनदारों की समिति द्वारा 90 प्रतिशत बहुमत के मतदान द्वारा अनुमोदित किया जाता है।	लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के तीन दिन के भीतर	डब्ल्यू+10

विनियम 35क	समाधान व्यावसायिक द्वारा अधिमानी और अन्य संव्यवहारों के बारे में राय बनाना	प्रक्रिया प्रारंभ होने के 75 दिन के भीतर	टी+75
	समाधान व्यावसायिक द्वारा अधिमानी और अन्य संव्यवहारों के बारे में अवधारण करना	प्रक्रिया प्रारंभ होने के 115 दिन के भीतर	टी+115
	समाधान व्यावसायिक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष समुचित अनुतोष के लिए आवेदन फाइल करना	प्रक्रिया प्रारंभ होने के 130 दिन के भीतर	टी+130
विनियम 36(1)	लेनदारों की समिति को सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करना	प्रक्रिया प्रारंभ होने के 95 दिन के भीतर	टी+95
विनियम 36क	प्ररूप छ प्रकाशित करना	प्रक्रिया प्रारंभ होने के 60 दिन के भीतर	टी+60
	रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण		
	रूचि की अभिव्यक्ति का प्रस्तुत किया जाना	रूचि की अभिव्यक्ति जारी करने से कम से कम 15 दिन (मान लीजिए 15 दिन)	टी+75
	समाधान व्यावसायिक द्वारा समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची	रूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त होने के अंतिम दिन से 10 दिन के भीतर	टी+85
	अनंतिम सूची के संबंध में आक्षेप प्रस्तुत करना	अनंतिम सूची की तारीख से 5 दिन के लिए	टी+90
	समाधान व्यावसायिक द्वारा समाधान आवेदकों की अंतिम सूची	आक्षेप प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर	टी+100
विनियम 36ख	समाधान योजना के लिए निवेदन जारी करना, जिसमें मूल्यांकन मैट्रिक्स और सूचना ज्ञापन भी है।	अनंतिम सूची जारी करने से 5 दिन के भीतर	टी+105
	समाधान योजनाओं की प्राप्ति	समाधान योजना के लिए निवेदन जारी करने से कम से कम 30 दिन (मान लीजिए 30 दिन)	टी+135
विनियम 39(4)	लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना का न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना	जैसे ही लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है।	टी+165
धारा 31(1)	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन		टी+180

”

14. मूल विनियमों में, विनियम 40ग के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“**40घ. समापन करने का विनिश्चय**

(1) समिति, कारपोरेट ऋणी के समापन के संबंध में विचार करते समय कारकों पर विचार कर सकेगी, जिसके अंतर्गत पिछले तीन वर्षों की गैर-प्रचालन स्थिति, उत्पादित माल या दी गई सेवा या प्रयोग में लाई गई तकनीक का अप्रचलित होना, किसी आस्ति का अभाव, किन्हीं अमूर्त आस्तियों की कमी भी हैं, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं, या ऐसे कारक जो भौतिक आस्तियों के अतिरिक्त चालू समुत्थान के रूप में मूल्य बढ़ाते हैं, जैसे ब्रांड मूल्य, बौद्धिक संपत्ति, संचित हानियां, अवक्षयण, ऐसे निवेश, जो भी परिपक्व होने हैं।

(2) ऐसी विचारणा को अभिलिखित किया जा सकेगा और उसे समाधान व्यावसायिक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए समापन के आवेदन में प्रस्तुत किया जा सकेगा।”

15. मूल विनियमों की अनुसूची में, प्ररूप छ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप छ

[उद्योग का प्रकार] में [अवस्थान(अवस्थानों)] पर प्रचालन करने वाले [कारपोरेट ऋणी का नाम] के लिए रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 36क(1) के अधीन]

	सुसंगत प्रविष्टियां	
1	निगमित ऋणी का नाम,पैन/सी.आई.एन./एल.एल.पी. सं. सहित	
2	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	
3	वैबसाइट का यू.आर.एल.	
4	उस स्थान का ब्यौरा, जहां अधिकांश स्थिर आस्तियां अवस्थित हैं	
5	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की संस्थापित क्षमता	
6	पिछले वित्तीय वर्ष में विक्रीत मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	
7	कर्मचारियों/कर्मकारों की संख्या	
8	अतिरिक्त ब्यौरे, जिसके अंतर्गत पिछले दो वर्षों की उपलब्ध वित्तीय विवरणियां (अनुसूचियों सहित), लेनदारों की सूचियां, प्रक्रिया की पश्चात्वर्ती घटनाओं के लिए सुसंगत तारीखें कहां उपलब्ध हैं:	
9	संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों के लिए पात्रता कहां उपलब्ध है	
10	रूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तारीख	
11	भावी समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तारीख	
12	अनंतिम सूची के संबंध में आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	
13	रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया ईमेल आई.डी.	

समाधान व्यावसायिक के हस्ताक्षर

समाधान व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

समाधान व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकृत पता

(कारपोरेट ऋणी का नाम) की ओर से

(तारीख और स्थान)"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./275/2022-23]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 448, तारीख 13 सितम्बर, 2022 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.091, तारीख 13 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2022.

No. IBBI/2022-23/GN/REG093. In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), after regulation 4B, the following shall be inserted, namely: -

   "**4C. Process e-mail.**

   (1) The interim resolution professional shall open an email account and use it for all correspondences with stakeholders and in the event of his replacement by a resolution professional, shall handover the credentials of the email to him.

   (2) The resolution professional shall, in case of his replacement with another resolution professional or a liquidator, hand over the credentials of the email to the other resolution professional or the liquidator, as the case may be."

3. In the principal regulations, after regulation 6, the following shall be inserted, namely:-

   "**6A. Communication to creditors.**

   The interim resolution professional shall send a communication along with a copy of public announcement made under regulation 6, to all the creditors as per the last available books of accounts of the corporate debtor through post or electronic means wherever the information for communication is available.

   Provided that where it is not possible to send a communication to creditors, the public announcement made under regulation 6 shall be deemed to be the communicated to such creditors."

4. In the principal regulations, in regulation 18, after sub-regulation (2), the following explanation shall be inserted, namely:-

   "**Explanation:** For the purposes of sub- regulation (2) it is clarified that meeting (s) may be convened under this sub-regulation till the resolution plan is approved under sub-section (1) of section 31 or order for liquidation is passed under section 33 and decide on matters which do not affect the resolution plan submitted before the Adjudicating Authority."

5. In the principal regulations, in regulation 35A, for sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely:-

   "(3) Where the resolution professional makes a determination under sub-regulation (2), he shall apply to the Adjudicating Authority for appropriate relief on or before the one hundred and thirtieth day of the insolvency commencement date."

6. In the principal regulations, in regulation 35A, after sub-regulation (3), the following shall be inserted, namely:-

   "(3A) The resolution professional shall forward a copy of the application to the prospective resolution applicant to enable him to consider the same while submitting the resolution plan within the time initially stipulated.*"*

7. In the principal regulations, in regulation 36,

(i) in sub-regulation (1), for the words "within two weeks of his appointment, but not later than fifty-fourth day from the insolvency commencement date, whichever is earlier.", the words "on or before the ninety-fifth day from the insolvency commencement date" shall be substituted.

(ii) in sub-regulation (2),

(a) for the opening words, the following shall be substituted, namely:-

"(2) The information memorandum shall highlight the key selling propositions and contain all relevant information which serves as a comprehensive document conveying significant information about the corporate debtor including its operations, financial statements, to the prospective resolution applicant and shall contain the following details of the corporate debtor- "

(b) in clause (a) after the words "assets and liabilities", the words "including contingent liabilities" shall be inserted

(c) in Explanation to clause (a), the words "geographical coordinates of fixed assets" shall be inserted before the words "and any other relevant details"

(d) the following clauses shall be inserted after clause (i), namely:-

"(j) company overview including snapshot of business performance, key contracts, key investment highlights and other factors which bring out the value as a going concern over and above the assets of the corporate debtor such as brought forward losses in the income tax returns, input credit of GST, key employees, key customers, supply chain linkages, utility connections and other pre-existing facilities

(k) Details of business evolution, industry overview and key growth drivers in case of a corporate debtor having book value of total assets exceeding one hundred crores rupees as per the last available financial statements"

8. In the principal regulations, in regulation 36A, in sub-regulation (1), for the words "not later than seventy fifth day", the words "not later than sixtieth day" shall be substituted.

9. *In the principal regulations, in regulation 36B, after sub-regulation (6) the following sub-regulation shall be inserted, namely:-*

"(6A) If the resolution professional, does not receive a resolution plan in response to the request under this regulation, he may, with the approval of the committee, issue request for resolution plan for sale of one or more of assets of the corporate debtor."

10. In the principal regulations, after regulation 36B, the following shall be inserted, namely:-

"**36C. Strategy for marketing of assets of the corporate debtor.**

(1) The resolution professional shall prepare a strategy for marketing of the assets of the corporate debtor in consultation with the committee, where the total assets as per the last available financial statements exceed one hundred crore rupees and may prepare such strategy in other cases.

(2) Decision of implementing such strategy along with its cost shall be subject to the approval of the committee.

(3) The member(s) of committee may also take measures for marketing of the assets of the corporate debtor."

11. In the principal regulations, in regulation 37, after clause (l) the following shall be inserted, namely: -

"(m) sale of one or more assets of corporate debtor to one or more successful resolution applicants submitting resolution plans for such assets; and manner of dealing with remaining assets."

12. In the principal regulations, after regulation 39B, the following regulation shall be inserted, namely: -

"**39BA. Assessment of Compromise or Arrangement.**

(1) While deciding to liquidate the corporate debtor under section 33, the committee shall examine whether to explore compromise or arrangement as referred to under sub -regulation (1) of regulation 2B of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulation, 2016 and the resolution professional shall submit the committee's recommendation to the Adjudicating Authority while filing application under section 33.

(2) Where a recommendation has been made under sub-regulation (1), the resolution professional and the committee shall keep exploring the possibility of compromise or arrangement during the period the application to liquidate the corporate debtor is pending before the Adjudicating Authority."

13. In the principal regulations, in regulation 40A, for the Table the following shall be substituted, namely:-

"

Section / Regulation	Description of Activity	Norm	Latest Timeline
Section 16(1)	Commencement of CIRP and appointment of IRP	….	T
Regulation 6(1)	Public announcement inviting claims	Within 3 Days of Appointment of IRP	T+3
Section 15(1)(c) / Regulations 6(2)(c) and 12 (1)	Submission of claims	For 14 Days from Appointment of IRP	T+14
Regulation 12(2)	Submission of claims	Up to 90th day of commencement	T+90
Regulation 13(1)	Verification of claims received under regulation 12(1)	Within 7 days from the receipt of the claim	T+21
	Verification of claims received under regulation 12(2)		T+97
Section 21(6A) (b) / Regulation 16A	Application for appointment of AR	Within 2 days from verification of claims received under regulation 12(1)	T+23
Regulation 17(1)	Report certifying constitution of CoC		T+23
Section 22(1) / Regulation 19(2)	1st meeting of the CoC	Within 7 days of filing of the report certifying constitution of the CoC, but with five days' notice.	T+30
Section 22(2)	Resolution to appoint RP by the CoC	In the first meeting of the CoC	T+30
Section 16(5)	Appointment of RP	On approval by the AA	……
Regulation 17(3)	IRP performs the functions of RP till the RP is appointed.	If RP is not appointed by 40th day of commencement	T+40
Regulation 27	Appointment of valuer	Within 7 days of appointment of RP, but not later than 47th day of commencement.	T+47
Section 12(A) / Regulation 30A	Submission of application for withdrawal of application admitted	Before issue of EoI	W
	CoC to dispose of the application	Within 7 days of its receipt or 7 days of constitution of CoC, whichever is later.	W+7
	Filing application of withdrawal, if approved by CoC with 90% majority voting, by RP to AA	Within 3 days of approval by CoC	W+10

Regulation 35A	RP to form an opinion on preferential and other transactions	Within 75 days of the commencement	T+75
	RP to make a determination on preferential and other transactions	Within 115 days of commencement	T+115
	RP to file applications to AA for appropriate relief	Within 130 days of commencement	T+130
Regulation 36 (1)	Submission of IM to CoC	Within 95 days of commencement	T+95
Regulation 36A	Publish Form G	Within 60 days of commencement	T+60
	Invitation of EoI		
	Submission of EoI	At least 15 days from issue of EoI (Assume 15 days)	T+75
	Provisional List of RAs by RP	Within 10 days from the last day of receipt of EoI	T+85
	Submission of objections to provisional list	For 5 days from the date of provisional list	T+90
	Final List of RAs by RP	Within 10 days of the receipt of objections	T+100
Regulation 36B	Issue of RFRP, including Evaluation Matrix and IM	Within 5 days of the issue of the provisional list	T+105
	Receipt of Resolution Plans	At least 30 days from issue of RFRP (Assume 30 days)	T+135
Regulation 39(4)	Submission of CoC approved Resolution Plan to AA	As soon as approved by the CoC	T+165
Section 31(1)	Approval of resolution plan by AA		T+180

”

14. In the principal regulations, after regulation 40C, the following shall be inserted, namely:-

“**40D**. **Decision for liquidation.**

(1) The committee while considering the liquidation of the corporate debtor may consider factors including but not limited to non-operational status for preceding three years, goods produced or service offered or technology employed being obsolete, absence of any assets, lack of any intangible assets or factors which bring value as a going concern over and above the physical assets like brand value, intellectual property, accumulated losses, depreciation, investments that are yet to mature.

(2) Such consideration may be recorded and submitted in the application for liquidation submitted by the resolution professional to the Adjudicating Authority.”

15. In the principal regulations, in the Schedule, for the Form G, the following shall be substituted, namely: -

“**FORM G**

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR

[NAME OF CORPORATE DEBTOR] OPERATING IN [INDUSTRY TYPE] AT [LOCATION(S)]

(Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of the corporate debtor along with PAN/ CIN/ LLP No.	
2.	Address of the registered office	
3.	URL of website	
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	
5.	Installed capacity of main products/ services	
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	
7.	Number of employees/ workmen	
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	
10.	Last date for receipt of expression of interest	
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	
12.	Last date for submission of objections to provisional list	
13.	Process email id to submit EOI	

Signature of the Resolution Professional
Registration Number of the Resolution Professional
Registered Address of the Resolution Professional
For (Name of the Corporate Debtor)
(Date and Place)"

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./275/2022-23]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2022 published *vide* notification No. IBBI/2022-23/GN/REG091, dated the 13th September, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 448 on 13th September, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA